	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 18, गुरूवार, शाके 1943-सितम्बर 9, 2021 *Bhadra 18, Thursday, Saka 1943- September 9, 2021*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, सितम्बर 03, 2021

संख्या प.31(2)**गृह**-9/2016 :-यतः मैन्यूवर्स, फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.31(2)गृह-9/2016 दिनांक 28.02.2017, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 1(ख) में दिनांक 01.03.2017 को किया गया था, में वर्णित क्षेत्र, ग्राम-बेरा, पत्रालय-साहडोली, तहसील-रामगढ़ जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 35.84 हैक्टेयर किता रकबा 35.84 में से 15.6 हैक्टेयर को जिसे आगे स्माल आर्म्स फ्लेट ट्रैजेक्ट्री वेपेन्स फायरिंग रेंज कहा गया है, को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसे दिनांक 31 मार्च 2037 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विती हेतु अधिकृत किया जा सकता है।

यतः उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा स्माल आर्म्स फ्लेट ट्रैजेक्ट्री वेपेन्स फायरिंग रेंज के, अधिसूचना क्रमांक प.31(2)गृह-9/2016 दिनांक 12.02.2021, जिसका प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 1 (ख) में दिनांक 16.02.2021 में किया गया था में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र को या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग को चांदमारी या तोपखाने का अभ्यास प्राधिकृत करने हेतु अपना आशय विज्ञापित किया गया था।

अतएव मैन्यूवर्स फील्ड फायरिंग एण्ड आर्टिलरी प्रेक्टिस एक्ट, 1938 (1938 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 5) की धारा 9 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा नीचे बताए गये सम्पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भी भाग में दिनांक 31 मार्च 2037 तक की अवधि के लिए चांदमारी तथा तोपाभ्यास की क्रियान्विती हेतु अधिकृत करती है तथा उक्त क्षेत्र को भविष्य में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ग्राम बेरा तह. रामगढ, स्माल आम्र्स फ्लेट ट्रैजेक्ट्री वेपेन्स फायरिंग रेंज के नाम से जाना जाएगा।

क्षेत्र का विवरण

ग्राम-बेरा, पत्रालय-साहडोली, तहसील-रामगढ़ जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 234 रकबा 35.84 हैक्टेयर किता रकबा 35.84 में से 15.6 हैक्टेयर।

भूमि के नक्शे का निरीक्षण संबंधित कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
देवेन्द्र कुमार,
संयुक्त शासन सचिव गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।